## न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कूमार कुडोपा)

<u>दांडिक प्रकरण क0-128/14</u> संस्थापित दि0 25/02/2014 फाईलिंग नं. 233504001712014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

<u> ----अभियोजन.</u>

-: विरूद्ध :--

अमन पिता रामकुमार, उम्र 21 वर्ष, जाति—स्वीपर, पेशा मजदूरी, नि0 वार्ड नं. 9, गंज आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

<u>----अभियुक्त.</u>

## <u>—: निर्णय :—</u> <u>(आज दिनांक—16 / 01 / 2017 को घोषित)</u>

01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि० की धारा—324 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 15/02/14 समय 08:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थी के घर के सामने वार्ड नं. 9 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र० के अंतर्गत फरियादी रामकुमार को आक्रामक लोहे की छूरी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 15/02/14 को करीब 08:30 बजे की बात है वह घर पर था उसका लड़का अमन शराब पीकर घर आया तो उसने शराब क्यों पिया कहकर डांटा तो लड़का अमन घर के सामने निकलकर माँ बहन की गंदी—गंदी गालियां देने लगा, उसने गाली देने से मना किया तो लड़का अमन ने पास में रखे लोहे की वस्तु से उसे मारपीट करने लगा, जिससे उसे बांये हाथ की उंगली एवं बांये हाथ के पंजे में चोट लगकर खून निकला, लड़का अमन बोल रहा था किसी को बताया तो जान से खतम कर दूंगा। घटना के समय ललीता लड़की रेणुका, रजनी ने देखा सुना बीच बचाव किया।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 148/14 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 294, 323, 324, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 16/02/14 को घटना का नक्शा मौका बनाया गया, दिनांक 16/02/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक के सम्पति जप्त किया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

## 06- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

"आपने दिनांक 15/02/14 समय 08:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थी के घर के सामने वार्ड नं. 9 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी रामकुमार को आकामक लोहे की छुरी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?"

## \_\_: निष्कर्ष एवं उसके आधार :— —: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी रामकुमार (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसका बड़ा लड़का अमन शराब पीकर आया तो उसने कहा कि शराब क्यों पिया है कहकर डांटा तो अमन घर के सामने से निकलकर गाली गलौच करने लगा उसने गाली देने से मना किया तो अमन ने पास में धारदार लकड़ी से मारपीट करने लगा जिससे उसे बांए उंगली एवं बांये हाथ के पंजे में चोट लगकर खून निकलने लगा। अमन ने बोला कि किसी को बताया तो जान से खतम कर देगा। पुलिस ने उसका मेडिकल मुलाहिजा कराया था। पुलिस ने घटना के समय पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। उसकी रिपोर्ट प्र0पीо 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने प्र0पीо 1 की रिपोर्ट में यह लिखा था कि लड़का अमन ने पास में रखे लोहे वस्तु से उसे मारपीट करने लगा यदि उसकी रिपोर्ट में उक्त बातें लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि प्र0पीо 2 के पुलिस बयान के अ से अ भाग लड़का अमन ने पास में रखे लोहे की छुरी से उसे मारपीट करने लगा, यदि उक्त बातें उसके पुलिस कथन प्र0पीо 2 में लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता।

08— आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त अमन से उसका बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके बेटे अमन ने धारदार लोहे की छुरी से उसे कोई मारपीट नहीं किया था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी रामकुमार को आकामक लोहे की छुरी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी रामकुमार को आकामक लोहे की छुरी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी रामकुमार को आक्रामक लोहे की छुरी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार अभियुक्त अमन को भा0द0वि0 की धारा—324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
12— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0